

कार्यालय उप श्रम आयुक्त, जी-25ए, सेक्टर-03, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय ज्ञाप

आप अवगत है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में दिनांक 11.04.2019 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन, 2019 के अन्तर्गत मतदान की कार्यवाही सम्पन्न होनी है। मा0 निर्वाचन आयोग द्वारा अपेक्षा की गई है कि हम लोग अपने देश की लोकतांत्रिक परम्परा की मर्यादा के अनुरूप स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 03/2019 /53/36-03-2019-02(सा0)/14 लखनऊ, दिनांक 01, अप्रैल, 2019 के द्वारा दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों व कारखानों के सम्बन्ध में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके अनुरूप निम्नानुसार कार्यवाही की अपेक्षा सभी सेवायोजकों से की जाती है :-

1. मतदान दिवस दिनांक **11.04.2019, बृहस्पतिवार** को जनपद के सभी दुकान, वाणिज्य अधिष्ठान के लिए बन्दी दिवस घोषित किया गया है।
2. अनविरल प्रक्रिया वाली औद्योगिक इकाईयाँ अपने प्रतिष्ठान बन्द रखेंगे तथा कार्यरत श्रमिकों को सवेतन अवकाश दिया जाएगा।
3. अविरल प्रक्रिया वाली औद्योगिक इकाईयाँ नियोजित श्रमिकों को मतदान करने हेतु मतदान दिवस पर युक्तियुक्त अवसर सुलभ करायेंगे।
4. सभी सेवायोजकों का यह भी दायित्व होगा कि वह अपने-अपने प्रतिष्ठानों में नियोजित एवं कार्यरत कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु अवश्य प्रेरित करेंगे।




(पी0के0सिंह)

उप श्रम आयुक्त

गौतमबुद्धनगर।

दिनांक 2/4/19




पत्रांक 5017-21

/गौ0प्रवर्तन-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को इस निर्देश सहित प्रेषित कि मतदान दिवस को अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में बन्दी कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित है कि वे अपने स्तर से यह सूचना जनपद के सभी प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया को जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ / व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा एवं हिन्दुस्तान को जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. मैसर्स जी न्यूज, ए0बी0पी0 न्यूज, एन0डी0टी0वी0 इण्डिया, इण्डिया टी0वी0, आई0बी0एन0-7, ई0टी0वी0 यू0पी0 को जनहित में निःशुल्क सूचना सम्बन्धी प्रसारण हेतु।





कार्यालय उप श्रम आयुक्त, जी-25ए, सेक्टर-03, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय ज्ञाप

आप अवगत है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में दिनांक 11.04.2019 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन, 2019 के अन्तर्गत मतदान की कार्यवाही सम्पन्न होनी है। मा0 निर्वाचन आयोग द्वारा अपेक्षा की गई है कि हम लोग अपने देश की लोकतांत्रिक परम्परा की मर्यादा के अनुरूप स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 03/2019 /53/36-03-2019-02(सा0)/14 लखनऊ, दिनांक 01, अप्रैल, 2019 के द्वारा दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों व कारखानों के सम्बन्ध में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके अनुरूप निम्नानुसार कार्यवाही की अपेक्षा सभी सेवायोजकों से की जाती है :-

1. मतदान दिवस दिनांक **11.04.2019, बृहस्पतिवार** को जनपद के सभी दुकान, वाणिज्य अधिष्ठान के लिए बन्दी दिवस घोषित किया गया है।
2. अनविरल प्रक्रिया वाली औद्योगिक इकाईयाँ अपने प्रतिष्ठान बन्द रखेंगे तथा कार्यरत श्रमिकों को सवेतन अवकाश दिया जाएगा।
3. अविरल प्रक्रिया वाली औद्योगिक इकाईयाँ नियोजित श्रमिकों को मतदान करने हेतु मतदान दिवस पर युक्तियुक्त अवसर सुलभ करायेंगे।
4. सभी सेवायोजकों का यह भी दायित्व होगा कि वह अपने-अपने प्रतिष्ठानों में नियोजित एवं कार्यरत कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु अवश्य प्रेरित करेंगे।

(पी0के0सिंह)

उप श्रम आयुक्त
गौतमबुद्धनगर।

दिनांक 2/4/19

पत्रांक 5017-21

/गौ0प्रवर्तन-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को इस निर्देश सहित प्रेषित कि मतदान दिवस को अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में बन्दी कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित है कि वे अपने स्तर से यह सूचना जनपद के सभी प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया को जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ / व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा एवं हिन्दुस्तान को जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. मैसर्स जी न्यूज, ए0बी0पी0 न्यूज, एन0डी0टी0वी0 इण्डिया, इण्डिया टी0वी0, आई0बी0एन0-7, ई0टी0वी0 यू0पी0 को जनहित में निःशुल्क सूचना सम्बन्धी प्रसारण हेतु।

(पी0के0सिंह)

उप श्रम आयुक्त